WWW.LIVELAW.IN

इन दि हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऐट इलाहाबाद।

एनेक्चर नं0–(4)

इन

एफीडेविट

इन

क्रिमिनल मिसलेनियस अप्लीकेशन नम्बर आफ 2020

(अण्डर सेक्शन 482, सी–आर. पी. सी.)

(जनपद–देवरिया)

मुकेश [redacted].....अप्लीकैन्ट।

बनाम

स्टेट आफ यू0 पी0 एण्ड एनादर.....अपोजिट पार्टीज।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी0एन0–11, देवरिया।पुलिस प्रपत्र

प्रकीर्ण वाद संख्या– 962/118

सरकार.....बनाम.....मनोज विन्द।

धारा–323, 504, 506 आई0पी0सी0

थाना–रूद्रपुर, जिला–देवरिया।

01/11/19:–पेश हुआ। थाने से आख्या दिनांक 20–12–19 को पेश हो।

ह0अप0

20/12/19:–पेश हुआ। थाने से आख्या दिनांक 02–01–20 को पेश हो।

ह0अप0

02/01/20:–पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि एन0सी0आर0नं0–217/214 में सम्बन्धित थाने से प्रगति आख्या आहूत करा उक्त एन0सी0आर0 नं0–217/14 से प्रार्थी का नाम काटे जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

प्रार्थना–पत्र के परिपेक्ष्य में एन0सी0आर0 नं0–217/14 के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार एन0सी0आर0 नं0 217/14 यू/एस.सी.

राकेश

WWW.LIVELAW.IN

सी. 323, 504, 506 आई0पी0सी0 मनोज, मुकेश, अमेरिका, गायत्री देवी के विरूद्ध पंजीकृत है जिसकी विवेचना नहीं हो रही है और न ही मा0 न्यायालय से विवेचना का आदेश ही प्राप्त है।

जहाँ तक उक्त एन0सी0आर0 नं0–217/14 से प्रार्थी मुकेश का नाम काटने हेतु आदेशित किये जाने का प्रश्न है ? यहाँ यह तथ्य स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में इस न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यह क्षेत्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय में धारा–482 सी–आर.पी.सी. के तहत निहित है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है एवम् निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा एन0 सी0 आर0 नं0–217/14 से अपना नाम काटे जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

हस्ता!0अप0
02/01/20

–/सत्य प्रतिलिपि/–

Against the Order dated 02.01.2020, passed by Judicial Magistrate, Deoria, in Misc. Case No. 962 of 2018, State V/s Manoj Bind and others, under section 323, 504, 506, IPC, at P.S.- Rudrapur, District- Deoria.

WWW.LIVELAW.IN

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

****

CRIMINAL MISC. APPLICATION NO.________OF 2020

(Under Section 482 Cr.P.C.)

DISTRICT - DEORIA

1. Mukesh son of Amereka.
Resident of- Fattepur, P.S.- Rudrapur, District- Deoria. ---------------------------------------Applicant

\\\Versus\\\

1. State of U.P.
2. Smt. Munari Devi wife of Jitan Bind.
Resident of Village- Fattepur, P.S.- Rudrapur, District- Deoria. ---------------------Opposite Parties

To,

THE HON'BLE CHIEF JUSTICE AND HIS OTHER COMPANION JUDGES OF THE ARORESAID COURT.

THE HUMBLE APPLICATION OF THE ABOVE NAMED THE APPLICANTS MOST RESPECTFULLY SHOWETH AS UNDER.

1. That, full facts circumstances and reason of the case have been stated in detail in the accompanying affidavit which forms part of this application.

PRAYER

It is, therefore, Most Respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow this application and **quash the Order dated 02.01.2020, passed by Judicial Magistrate, Deoria, in Misc. Case No. 962 of 2018, State v/s Manoj Bind and others, arising out of the N.C.R. No. 217 of 2014, under section 323, 504, 506, IPC, at P.S.- Rudrapur, District- Deoria.**

WWW.LIVELAW.IN

And

It is further prayed that the further proceedings of the **Misc. Case No. 962 of 2018, State v/s Manoj Bind and others, arising out of the N.C.R. No. 217 of 2014, under section 323, 504, 506, IPC, at P.S.- Rudrapur, District- Deoria,** be stayed during the pendency of this application filed u/s 482 Cr.P.C., and/or may be pleased to pass such further and suitable order as this Hon'ble Court may deem fit and proper under the facts and circumstances of the case.

Date: February 2020